

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

सं०सं०-1/उ०नि० आरोप-17-01/2018

आदेश

विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-05/(नि० को०)/रा०, दिनांक 08.01.2018 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री विनोद सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्प्रति अंचलाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को रफीगंज थाना कांड सं०-229/2012 दिनांक-12.12.2012 धारा 409/420 भा०द०वि० एवं संयुक्त धारा 467/468/471/406/120 (बी०) भा०द०वि० में दिनांक 27.11.2017 की रात्रि 10:00 बजे हुई गिरफ्तारी एवं दिनांक 16.12.2017 तक काराधीन रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 के उप नियम 2(क) के आलोक में कारावास की अवधि दिनांक 28.11.17 से 16.12.17 तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह को नियमानुसार अनुमान्य जीवन यापन भत्ता देय होगा।

3. श्री सिंह जमानत पर मुक्त होने के पश्चात् दिनांक 18.12.17 के पूर्वाहन में अपने कर्तव्य पर योगदान दिए हैं। इनका योगदान स्वीकार करने तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3) के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जाएगा।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/पटना, दिनांक

सं०सं०-1/उ०नि० आरोप-17-01/2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 706

/पटना, दिनांक 19.2.18

सं०सं०-1/उ०नि० आरोप-17-01/2018

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) एवं श्री विनोद सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्प्रति अंचलाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

19.2.18